(3)

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
09.04.12	**न्यायालय उपायुक्त, खूँटी** एस0 ए0 आर0 अपील वाद संख्या– 4R15/2011 **सलोमी मुण्डू – अपीलकर्त्ता** **बनाम** **जुरन सिंह मानकी – विपक्षी** **आदेश** यह अपीलवाद श्रीमती सलोमी मुण्डू, पिता मनसुख मुण्डू, ग्राम कमन्ता मार्टिन बंगला, थाना खूंटी, जिला खूंटी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खूंटी के न्यायालय द्वारा निष्पादित एस0ए0आर0 वाद संख्या 26/08–09 में दिनांक 15.07.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपील दायर करने के पश्चात दिनांक 19.09.11 को अपीलकर्त्ता द्वारा अपीलवाद वापस लेने के संबंध में आवेदन दाखिल किया गया। उसके बाद से आजतक अपीलकर्त्ता न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। दिनांक 30.09.11 को न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, खूंटी से दखल कब्जा के संबंध में जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी खूंटी के पत्रांक 915 दिनांक 05.12.11 के द्वारा जांच प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया गया। अपीलकर्त्ता के द्वारा अपील आवेदन, निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि, अंचल अधिकारी, खूंटी द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जूरन सिंह मानकी धारा 46 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत् तरीके से अनुमंडल पदाधिकारी, खूंटी के न्यायालय के RM Case No 77/74-75 के द्वारा जमीन क्रय की गई है, जिसका मालगुजारी रसीद भी जूरन सिंह मानकी के नाम से जमीन खरीदगी के पश्चात से कटता चला आ रहा है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है। अतः अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन दाखिला बिन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है तथा निम्न न्यायालय द्वारा	

	पारित आदेश को बहाल रखा जाता है। अपीलकर्त्ता एवं निम्न न्यायालय को सूचित करें। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त, खूँटी। उपायुक्त, खूँटी।	